दिनेश कुमार, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज
एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302 005

क्र. जे.पी.डी./अध्यक्ष डिस्कॉम्स /अधी.अभि.(आर.ई)/ अधि.अभि.(II)/प. /प्रे.1075 दि. 17.3.21

आदेश

विषयः-कटे हुए कृषि कनेक्शन को पुनः चालु करने के संबंध में।

वर्तमान में कटे हुए कृषि कनेक्शन 15 साल की अवधि तक जोड़े जा सकते है। कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के बिन्दु संख्या 17.2 मे यह प्रावधान है कि"कृषि कनेक्शन कटने एवं कनेक्शन पुनः जुडवाने के लिये दिये गये आवेदन की तिथि के बीच की समयावधि अगर दो साल से अधिक एवं 15 साल तक है तो ऐसे किसी कनेक्शन को भी पुनः जोडा जा सकेगा। दो साल से अधिक समय से कटे हुए कनेक्शन उपभोक्ता विद्युत संबंध विच्छेद के समय जो बकाया राशि थी वह राशि व उस पर ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष छः माही चक्रवृद्धि दर से तथा री-कनेक्शन चार्जेज लेकर कनैक्शन चालू किया जा सकता है। यदि लाइन हटा ली गई हो तो रू0 1500/-प्रति हा. पा. 10 हा. पा. तक तथा इसके बाद रू. 750/-प्रति हा. पा. की दर से अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी"।

कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 17.2 में निहित प्रावधान को निम्नानुसार पुनः स्थापित किया जाता है।

"कृषि कनेक्शन कटने एवं कनेक्शन पुनः जुडवाने के लिये दिये गये आवेदन की तिथि के बीच की समयावधि अगर दो साल से अधिक एवं 20 साल तक है तो ऐसे किसी कनेक्शन को भी पुनः जोडा जा सकेगा। दो साल से अधिक समय से कटे हुए कनेक्शन उपभोक्ता विद्युत संबंध विच्छेद के समय जो बकाया राशि थी वह राशि व उस पर ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष छः माही चक्रवृद्धि दर से तथा री-कनेक्शन चार्जेज लेकर कनेक्शन चालू किया जा सकता है। यदि लाइन हटा ली गई हो तो रू. 1500/-प्रति हा. पा. 10 हा. पा. तक तथा इसके बाद रू 750/-प्रति हा. पा. की दर से अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी"।

उक्त आदेश तीनों विद्युत कम्पनियों पर लागू होगे।

17/3
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

Tel. : +91-141-2744965 (O) • Fax : +91-141-2744187 • e-mail : chairmandiscoms@rajasthan.gov.in